


11.7.19

पञ्चावली ताल्ले नियमि पेरा रूई
 खनिप्त मे विवला हल सकार है डि
 मीजा व्यापरी तहलील कपालन के सामिक
 पैसाय बा की आठन 16 रुका 0.94 है.
 आ.न. 17 रुका 0.22 है. कुल मिला 2
 कुल रुका 1.16 है. खिस्त थी जो शायीगा
 व उन्ही माता मु. जमनी के नाम पर खातेली
 हक ले दर्ज थी तथा मु. पाली की मृत्यु से
 पुनी है व शायीगा की उन्के वारीत है
 उक्त आशयिमात के नरि पैसाय में
 आ.न. 32 की - 33 की - 34 की बने तथा
 पुनः पैसाय हुई उसमे आ.न. 33
 रुका 0.67 है, 50 रुका 0.87 है, 52 रुका
 0.46 है. कुल मिला 3 कुल रुका 1.20 है
 कायम हुके (उन्के के आठन 33, 50
 वा पुन रुका व आ.न. 52 मेले 0.42
 है. कुल रुका 1.16 है. शायीगा के
 कपेकात है / उक्त आशयिमात कुलका
 विलानाम हवि योग्य भूमि दर्ज कर की गरी
 है जो गलत है अतः हलका हुनका कर
 पुनः शायीगा के खातेली दर्ज शिपापाना
 आवश्यक है हलका शायीगा पत्र ताल्ले
 शिपा गया / शायीगा पत्र हवि शिपापाना



श्रीमती क. गोयल
 सहायक क. स. स. स.
 स. स. स. स. स. स.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>विषय पत्र प्रान्त रिपोर्ट। मौज रिपोर्ट भारत की गई। रिपोर्ट अनुसार ग्राम धापुरी की पमावनी क्षेत्र 2064-17 के खाता क्रमांक 87 पर आ.न. $\frac{16}{94}$ 17 0.22 क्वा. 2 रकबा 1.16 है एवं रेका रेकर परिये न.स. 621/4.12.12 के खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिद्धूर के नाम रहन एवं उक्त। हाल पमावनी में मौज धापुरी में प्रच्छादन के नाम की भूमि एवं रेका नहीं है जो कि ग्राम धापुरी के विविध सेक्टर में खाता नहीं बनया गया है। प्रच्छादन के रूप में सेक्टर में लेने के नाम धापुरी की आ.न. 33 रकबा 0.67, 50 रकबा 0.07 है आ.न. 52 रकबा 0.44 कुल क्वा. 3 कुल रकबा 1.20 है। पिछला मौज पर्यटन जलजंरिया गया है। उक्त रकबा न.स. 33 की है। व ऊपर अनुसार उक्त आशरीयत में के आ.न. $\frac{33}{0.67}$ 50 रकबा 52 रकबा 0.44 है। में के रकबा 0.42 कुल क्वा. 3 परमा 1.16 है। खातेवाली से एवं लेने परमा है। की रिपोर्ट प्रस्तुत की। हमारे पत्रावली का अवलोकन किया। मौज मर्चा रिपोर्ट का अवलोकन किया। मह निगम रिपोर्ट का है कि मौज धापुरी पर 80 धापुरी लक्ष्मी ग्राम की आ.न. 33 रकबा 0.67 आ.न. 50 रकबा 0.07 है, आ.न. 52 रकबा 0.44 है। में के 0.42 है कुल क्वा. 3 कुल रकबा 1.16 है। जो की विमानाम सवि योग्य एवं रेका के नाम।</p>	

विशेष नोटिस
 1. इसका प्रमाण है
 2. इसका प्रमाण है
 3. इसका प्रमाण है

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

देवी लाल, प्रभु लाल पिता देमा प्री
 नाथ झा सा. मोडाशेरा के नाम से
 विप्रे जाने का आदेश दिया जाता है।
 साथ ही रहन पेपान केबल बैंक शाखा
 सिटपुर के नाम से ही है। तदनुसार
 साक्षर रजिस्ट्रार में दर्ज हो। पत्रावली
 फौजल शुमार नंबर ५५५ से कम हो
 आदेश हुनापा गया।



(आभियंता गोयल)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपपरिषद अधिकारी, कपासन
 जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

विषय: साक्षर नं. ५५५ से कम हो
 ५५०-०५००, ५५०-०५००, ५५०-०५००
 ५५०-०५००, ५५०-०५००, ५५०-०५००
 विषय: साक्षर नं. ५५५ से कम हो
 ५५०-०५००, ५५०-०५००, ५५०-०५००
 ५५०-०५००, ५५०-०५००, ५५०-०५००